

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या - 1425 / 2012 / जयपुर
2. अपील संख्या - 1427 / 2012 / जयपुर
3. अपील संख्या - 1429 / 2012 / जयपुर
4. अपील संख्या - 1431 / 2012 / जयपुर
5. अपील संख्या - 1433 / 2012 / जयपुर

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन जोन-द्वितीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स क्ले क्रॉफ्ट इण्डिया प्रा.लि.,
एफ-766-ए, रोड नं. 1,
वीकेआईए, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.08.2016

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी पांचों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 19.01.2012 के विरुद्ध धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग-द्वितीय, जयपुर (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ये अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वित्तीय वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1425/12	137/अपी/ III/11-12/ई	26.07.11	06-07	2155	1250	4310
1427/12	139/अपी/ III/11-12/ई	26.07.11	07-08	2212	1018	4424
1429/12	141/अपी/ III/11-12/ई	26.07.11	08-09	2718	924	5436
1431/12	143/अपी/ III/11-12/ई	26.07.11	09-10	4310	948	8620
1433/12	145/अपी/ III/11-12/ई	26.07.11	10-11	3950	395	7900

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कम्पनी की जांच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय प्रतिकरावंचन, जोन द्वितीय, जयपुर (जिन्हें आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी फर्म के डायरेक्टर श्री दिनेश अग्रवाल की उपस्थिति में की गयी। जांच में पाया गया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा बोन चाइना क्रोकरी, टेबल वैयर इत्यादि का निर्माण करके इनकी राज्य एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री की गयी। जांच अधिकारी ने जांच में यह पाया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा जारी अन्तर्राज्यीय बिक्री के बिलों में ग्राहकों से बीमा (Insurance) के नाम से राशि वसूल की गई है किन्तु ग्राहकों से उक्त वसूल की गयी बीमा राशि पर प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा कर दायित्व वहन नहीं किया जाना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा नियमानुसार ने प्रत्यर्थी कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई। जिस पर सशक्त अधिकारी ने पत्रावली की जांच के उपरान्त एवं बाद सुनवाई प्रत्यर्थी कम्पनी के विरुद्ध आलौच्य अवधि में उपरोक्त तालिकानुसार मांग कायम की गई।

4. प्रत्यर्थी द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने संयुक्त आदेश दिनांक 19.01.2012 के द्वारा ये अपीलें निस्तारित करे हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति की राशियों को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई हैं।

6. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जांच के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी विक्रय बिलों में क्रेता व्यवहारियों से बीमा के नाम पर राशि वसूल कर रहा था किन्तु उक्त राशि को विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानकर विवरणियों में प्रदर्शित नहीं किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के रिकार्ड यथा प्रस्तुत बैलेंस शीट में उसके साथ संलग्न अनुसूची में वसूल की गई बीमा की राशि, निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	वसूल की गई राशि
2006-07	5,9,430
2007-08	6,11,443
2008-09	540565
2009-10	799522
2010-11	10,24,816

उक्त राशि बीमा राशि के नाम से क्रेताओं से वसूल की गई है परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त राशि जिसमें राज्य के भीतर एवं अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के कारण



लगातार.....3

वसूल की गई राशि का संयुक्त विवरण है जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने 50 प्रतिशत राशि राज्य के भीतर तथा 50 प्रतिशत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के संव्यवहारों के साथ वसूल करना मानकर कर निर्धारण किया गया है। उक्त विभाजन को प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विवादित नहीं किया है। उक्त राशि व्यवहारी ने अपने बहियात में क्रेताओं से वसूल की गई है इसमें भी कोई विवाद नहीं है परन्तु चूंकि उक्त राशि क्रेताओं से माल की सुपुर्दगी से पूर्व बीमा करवाकर वसूल की गई है अतः उक्त अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य का हिस्सा है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बीमा कम्पनी से माल परिवहन के प्रारम्भ से ही एक कॉमन पोलिसी ली जाती है एवं जब जब माल का विक्रय किया जाता है तब तब विक्रय बिल में से एक निश्चित राशि बीमा के नाम से वसूल की जाती है। जबकि माल सुपुर्दगी से पूर्व के खर्चे हैं। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रय मूल्य का भाग मानकर करारोपण करते हुए विवरणीयों में उक्त विक्रय दर्शित नहीं करने पर शास्ति का आरोपण उचित रीति से किया है एवं इस पर देय होने वाले ब्याज का आरोपण भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने इसको बिना किसी उपयुक्त विवेचन के, अविधिकपूर्ण तरीके से उक्त आरोपित राशियों को अपास्त कर दिया गया है अतः उक्त प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स इंडिया मीटर्स लि० बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07.09.2010, टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट-3, पेज 7 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

7. दूसरी ओर विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा ग्राहकों से वसूली गयी बीमा राशि बिक्री मूल्य का भाग नहीं है तथा बीमा राशि को Only paid for and on behalf of customer होना व्यक्त किया। इस बिन्दु पर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(36) का संदर्भ लेते हुए यह उल्लेख किया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा बीमा कम्पनी से गुड्स इन ट्रांजिट के लिए शुरू में ही एक कॉमन पॉलिसी ले ली जाती है तथा जब किसी क्रेता विशेष को माल विक्रय किया जाता है तब विक्रय बिल में एक निश्चित राशि, बीमा के नाम से क्रेताओं से वसूल की जाती है। क्रेता को माल डिलीवरी से पूर्व ही विक्रय बिल के माध्यम से बीमा के नाम से वसूल की जाने वाली राशि अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य का भाग होती है अन्यथा नहीं। सशक्त अधिकारी द्वारा बीमा राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करने से पूर्व इस तथ्य को सुस्थापित करना चाहिये था, तत्पश्चात ही प्रत्यर्थी कम्पनी के विरुद्ध वैट दायित्व ठहराया जाना चाहिए था। सशक्त अधिकारी ने Only paid for and on behalf of customer नहीं मानकर विक्रय मूल्य का भाग माना है।



8. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि जो क्रेता व्यवहारी बीमा कराना चाहते हैं उनसे ही बीमा राशि वसूल की गयी है। अतः सभी क्रेताओं पर बाध्यता नहीं की जाती है। प्रत्यर्थी कम्पनी ने अपने कथन की पुष्टि में यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि आलौच्य अवधि में रुपये 4,55,37,679/- की बिक्री पर कोई बीमा राशि वसूल नहीं की गई है।

9. आगे बहस में उन्होंने कथन किया कि बीमा का विकल्प क्रेताओं पर है। सभी क्रेताओं ने बीमा की सेवा नहीं ली है। बीमा विकल्प पर बीमा लाभ एवं बिना विकल्प बीमा लाभ नहीं लेने वाली बिक्री का विवरण भी सशक्त अधिकारी को पेश किया हुआ है। सशक्त अधिकारी ने कहीं भी यह प्रमाणित नहीं किया कि संग्रहित बीमा राशि बिलों में पृथकशः चार्ज नहीं की है जबकि यह सशक्त अधिकारी के जांच एवं यह प्रमाणीकरण के दायित्व के अधीन था। प्रत्यर्थी ने कहीं ये तथ्य नहीं छिपाये हैं।

10. विद्वान अभिभाषक ने आगे जाहिर किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट 3 पेज 7 पैरा 41 को करारोपण का आधार बनाया है जो अधिनियम की सेल प्राईस की परिभाषा पर आधारित न होकर तामिलनाडु के नियम 6 पर आधारित है जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 2198 के तथ्यों पर आधारित है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त निर्णय की नजीर 136 एसटीसी 285 पेश कर निर्णय के पैरा संख्या 4 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि वहाँ "freight and insurance charges payable up to destination was Rs. 3 per meter for which no separate voucher would be necessary and that charge would be kept firm till the completion of the contract" के तथ्य थे जो बीमा/किराया राशि कांट्रेक्ट के अनुसार बिलों में पृथकशः चार्ज नहीं किया गया था अपितु for delivery के पश्चात debit note के जरिये प्राप्त किया था। इस प्रकार प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा उद्धरित नजीरें, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) में परिभाषित "सेल प्राईस" के संदर्भ में लागू नहीं होती है।

11. प्रत्यर्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन की पुष्टि में निम्नांकित विभिन्न माननीय न्यायालयों के दृष्टान्त उद्धरित किये :-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1032-33/ 2003 में पारित निर्णय दिनांक 7 सितम्बर, 2010 प्रकरण मैसर्स इण्डिया मीटर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट 3 पेज 73
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20 नवम्बर, 2001, प्रकरण इण्डिया मीटर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू (2004) एस टी सी 285

- माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 337 / 1994 एवं 532 / 1995 में पारित निर्णय दिनांक 27 जनवरी, 1997, प्रकरण मैसर्स इण्डियन, रेयोन इण्डस्ट्रील लिमिटेड, जोधपुर बनाम वा.क.अ. विशेष वृत्त प्रथम, जोधपुर, (1997) 22 आर टी जे एस पेज.363
- माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 451 / 94 / एसटी / जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26 मई, 1997, प्रकरण एसीटीओ बनाम नेशनल इंजीनियरिंग लिमिटेड 20 टैक्स वर्ल्ड 472
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 1968, प्रकरण स्टेट ऑफ मद्रास बनाम बालिगा लाईटिंग इक्विपमेंट प्रा. लि. गुइंडी 154 एसटीसी वोल्यूम 23
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 प्रकरण सेशासायी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू (1994) एसटीसी 565
- माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5 सितम्बर, 2006 प्रकरण तिलक राज मदन मोहन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (2009) 20 वीएसटी 351

उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पीटिशन संख्या 47 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 30 मार्च, 2011, प्रकरण वा.क.अ. एन्टी इवेजन जयपुर बनाम मैसर्स गोदरेज जी ई एपलाएँसेज लिमिटेड, जयपुर, टैक्स वर्ल्ड वोल्यूम XI, V पेज 57 के उद्धरण भी प्रस्तुत किये।

12. विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त निर्णयों के आलोक में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उनकी अपीलें विधिक तौर पर उचित तरीके से स्वीकार कर सशक्त अधिकारी के पारित आदेश को निरस्त किया है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

13. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों/आधारों, बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों तथा कर निर्धारण पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया तथा उद्धरित दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

14. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) अनुसार निम्न प्रकार है:-



2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof,

Explanation I. -

Explanation II. -

Explanation III. - Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice.

Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, but the burden of such proof shall lie on the dealer.

विक्रय मूल्य की उपरोक्त परिभाषा के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी से पूर्व किये गये समस्त खर्च विक्रय राशि के भाग होंगे।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स इंडिया मीटर्स लि० बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07.09.2010, टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट-3, पेज 7 में मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, 1979 (43 एसटीसी 13) के प्रकरण में दिये गये निर्णय के पैरा 8 का सन्दर्भ देकर इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि :-

"Take for example, excise duty payable by a dealer who is a manufacturer. When he sells goods manufactured by him, he always passes on the excise duty to the purchaser. Ordinarily it is not shown as a separate item in the bill, but it is included in the price charged by him. The "Sale Price" in such a case could be the entire price inclusive of excise duty because that would be the consideration payable by the purchaser for the sale of the goods. True, the excise duty component of the price would not be an



लगातार.....7

addition to the coffers of the dealer, as it would go to reimburse him in respect of the excise duty already paid by him on the manufacture of the goods. But even so, it would be part of the sale price because it forms a component of the consideration payable by the purchaser to the dealer. It is only as part of the consideration for the sale of the goods that the amount representing excise duty would be payable by the purchaser. There is no other manner of liability, statutory or otherwise, under which the purchases would be liable to pay the amount of excise duty to the dealer. And, on this reasoning, it would make no difference whether the amount of excise duty is included in the price charged by the dealer or is shown as a separate item in the bill. In either case, it would be part of the sale price. So also, the amount of sales tax payable by a dealer, whether included in the price or added to it as a separate item as is usually the case, forms part of the sale price. It is payable by the purchaser to the dealer as part of the consideration for the sale of the goods and hence falls within the first part of the definition."

16. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी आदेश के पैरा 41 व 42 में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी है कि :-

"41. When we apply the ratio of the judgments of the English courts and of our courts, the conclusion becomes obvious that the amount of freight and insurance charges incurred by the dealer forms part of the sale price.

42. We may reiterate that in this case, there was specific contract entered into by and between the parties and according to the relevant clause of the contract, the ownership of the goods will remain with the supplier till they are delivered at the destination station."


17. उपरोक्त न्यायिक व्यवस्था के आलोक में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय उनकी मदद नहीं करते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेताओं से संग्रहीत बीमा राशि विक्रय मूल्य का भाग न मानने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश कर व ब्याज आरोपण की सीमा तक अपास्त किया जाकर सक्षम अधिकारी का निर्णय बहाल किया जाता है।



18. जहां तक उपरोक्त विक्रय राशि को विवरणियों में नहीं दर्शाने पर शास्ति आरोपण का प्रश्न है इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158, सीटीओ बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1320/2013/सिरोही सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट लि० निर्णय दिनांक 26.06.2014 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वीएसटी 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप जबकि प्रत्यर्था व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उनके लेखा पुस्तकों में दर्ज किये हैं, अतः माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाना विधिक होने से कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें इस सीमा तक अस्वीकार की जाती हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।


10.8.2016
(मदन लाल)
सदस्य